

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज0)

लालूलाल बनाम दयाराम पिता नगजी व अन्य

Online No. 2022/506

धारा 111-128 एल0आर0ए

मुकदमा 347 / 2022

04.10.2022 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी अधिवक्ता की प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। निर्णय संलग्न है। प्रकरण निर्णित शुमार हो, नम्बर से कम किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी ओम प्रभा आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर-347 / 2022 राजस्व प्रार्थना पत्र

उनवान

1. श्री लादूलाल पुत्र मोतीलाल विश्नोई निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा

-प्रार्थी

बनाम

1. श्री दयाराम पुत्र नगजी
2. श्री बंशी पुत्र नगजी
3. श्री कालूराम पुत्र लक्ष्मण
4. श्री पन्नालाल पुत्र लक्ष्मण
5. श्री प्रकाश पुत्र कालूराम
6. श्री रामलाल पुत्र रतना
7. श्री भैरू पुत्र गोकल
8. श्री केशु पुत्र गोकल
9. श्री भागु पुत्र गोकल
10. श्री कन्हैयालाल पुत्र मेगा
11. श्री कैलाश पुत्र लालचन्द
12. श्री बंशीलाल पुत्र लालचन्द
13. श्री मदनलाल पुत्र लालचन्द
14. श्री प्रकाशचन्द्र पुत्र रूपलाल
15. श्री पवन पुत्र रूपलाल
16. श्री रवि पुत्र रूपलाल
17. श्री हरिओम पुत्र रूपलाल
18. श्री कनकमल पुत्र घीसूलाल देवड़ा
19. श्री गोपाल पुत्र घीसूलाल देवड़ा
20. श्री बालू पुत्र घीसूलाल देवड़ा
21. श्री रमेश पुत्र श्री घीसूलाल देवड़ा
22. श्री शान्तिलाल पुत्र घीसूलाल देवड़ा
निवासीयान पुर, तहसील व जिला भीलवाड़ा
23. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956
निर्णय

दिनांक 4/10/2022

उपस्थित-1- अम्बालाल कुमावत- प्रार्थी अधिवक्ता

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राज0भू0राज0 अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम पुर प0ह0 पुर, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पुर, तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 5444 रकबा 0.2403 हैक्टेयर, 5445 रकबा 0.2529 हैक्टेयर कुल कित्ता 02 कुल रकबा 0.4932 हैक्टेयर भूमि का खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त आराजियात की भूमि के विपक्षीगण पड़ौसी है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान कराया जावे।


अपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। विपक्षीगण के नोटिस जारी किये गये। सम्मन बाद तामील प्राप्त नहीं हुए। विपक्षी संख्या 23 की ओर से पेरोंकार सरकार उपस्थित हुए। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, पत्रावली का अवलोकन किया गया बहस पर मनन किया। जमाबन्दी सम्वत् 2069 से 2073 ग्राम पुर प0ह0 पुर, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पुर, तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 5444 रकबा 0.2403 हैक्टेयर, 5445 रकबा 0.2529 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल रकबा 0.4932 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज होकर खातेदार है। प्रार्थी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। इस आदेश से किसी भी पक्षकार का अभिलेख में किसी प्रकार हक व अधिकार तय नहीं होते हैं तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतः एव

// आदेश //

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा-111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत स्वीकार किया जाकर ग्राम पुर प0ह0 पुर, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पुर, तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 5444 रकबा 0.2403 हैक्टेयर, 5445 रकबा 0.2529 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल रकबा 0.4932 हैक्टेयर भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। राजकीय पत्थरगढी शुल्क 100/- रूपये तहसीलदार भीलवाड़ा के यहाँ संबंधित मद में प्रार्थी जमा करावे। पत्थरगढी किये जाने के लिये भू0अ0निरीक्षक पुर 500/-रूपये (पांच सौ रूपये) कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर विपक्षीगण को विधिवत सूचना देकर उन्हें मौके पर उपस्थित रहने हेतु अवगत करावे। कमिश्नर फीस प्रार्थी मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की उपस्थिति में ही पत्थरगढी की जावें। पत्थरगढी करने के पश्चात यदि यह पाया जाता है कि प्रार्थी की भूमि पर अन्य काश्तकार का या किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी को विधिवत कब्जा प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र है। यदि प्रार्थी की उपरोक्त खातेदारी भूमि के संबंध में अन्य न्यायालयों में कार्यवाही विचाराधीन होने एवं स्थगन होने पर पत्थरगढी कार्य नहीं किया जावे।

अतः भू0अ0नि0 पुर जो कि उक्त प्रकरण में कमिश्नर है, मौके पर उपस्थित प्रार्थी व विपक्षीगण की उपस्थिति में पत्थरगढी की जाकर पर्चा मौका मय मानचित्र प्रस्तुत करे।

पत्थरगढी किये जाने के लिये तहसीलदार भीलवाड़ा को पालना हेतु लिखा जावे।

(ओम प्रभा)

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक ५/१०/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में

सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा